न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 05/2018
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुरेन्द्रकुमार आयु 48 वर्ष आत्मज श्री रामकरण, बिश्नोई, चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

1. नत्थूराम,
2. हरचन्द,
3. हंसराज,
4. दलीप एवं
5. भागीरथ आत्मजन श्री रामकरण, बिश्नोई, चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. कुलदीप आत्मज स्व. श्रीमती रामप्यारी आत्मजा श्री मुकंदलाल, ब्राहमण, चक 34 जी.जी. वर्तमान चक 17 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर,
7. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री गुरप्रीतसिंह (आवेदक)
श्री मोहनलाल माहर (अनावेदक–6)

दिनांक 17 मई, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 34 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 37 के 12.10 बीघा कृषि भूमि में स 2/3 हिस्सा एतद्द्वारा 2.108 हैक्टर भूमि आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 से 5 द्वारा श्रीमती मंगलादेवी धर्मपत्नी श्री हरबंसलाल आत्मजा श्री मुकंदलाल से क्रय की गयी जिसके विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 12 मई, 1994 दर्ज किया गया है. इस प्रकार आवेदक का उक्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा बना. नामान्तरकरण संख्या 257 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज करते समय राजस्व कर्मियों की त्रुटि से कुल 2.108 हैक्टर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज हो गया जबकि आवेदक तथा अनावेदक संख्या 1 से 5 के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जाना चाहिये था. इस प्रकार वादी उल्लेखित कृषि भूमि में से अपने 1/6 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवाने तथा राजस्व अभिलेखों में संशोधित करवाकर अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है. उल्लेखित कृषि भूमि 2.108 हैक्टर वर्तमान में अनावेदक संख्या 6 की माता स्व. श्रीमती रामप्यारी के नाम 1.054 हैक्टर के साथ खाता संख्या 41/40

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

के रूप में दर्ज चला आ रहा है. इस प्रकार चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/40 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 13/2(0.126) किला नम्बर 14 से 25 कुल 3.161 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है, में आवेदक का हक व हिस्सा बनता है. समस्त कृषि भूमि पर आवेदक का कब्जा चला आ रहा है. अनावेदक संख्या 6 मृतक श्रीमती रामप्यारी का स्वयं को अकेला वारिस बता रहा है. इसलिये उसे प्रतिपक्षकार बनाया गया है. आवेदक अपने हिस्सा की कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है जिसके लिये संयुक्त खाता की कृषि भूमि में आवेदक स्वयं के हिस्सा तक की भूमि के लिये खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करवाकर अपना नाम दर्ज करवाकर खाता विभाजन कर किलावाईज भूमि दर्ज करवायी जानी आवश्यक है. जिसके लिये अनावेदकगण से बार बार निवेदन किया गया कि चक 34 जी.जी. के खाता संख्या 41/40 मुरब्बा नम्बर 37 के 12.10 बीघा में से 2.108 हैक्टर में आवेदक के 1/6 हिस्सा का आवेदक को खातेदार मानकर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करवाकर खाता विभाजन करवाकर किलावाईज दर्ज करवाये किन्तु अनावेदकगण लालचवश राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर कृषि भूमि दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से टालमटोल करते हुऐ दिनांक 7 जनवरी, 2018 को साफ इन्कार हो गये तथा धमकी दी गयी कि अनावेदकगण भूमि का विक्रय कर देंगे. यदि अनावेदकगण द्वारा भूमि को अन्तरित कर दिया गया तो आवेदक को विधि विरूद्व बेदखल करने पर आवेदक अपने अधिकारों से वंचित होगा तथा मौका पर कभी भी अप्रिय घटना होकर जानमाल की क्षति हो सकती है. इस प्रकार आवेदक द्वारा चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 41/40 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 13 से 25 की कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया.

अनावेदक संख्या 6 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 4 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस की पावती प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2018 द्वारा अनावेदक संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 7 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

अनावेदक संख्या 6 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 14 फरवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अनावेदक संख्या 6 के विरूद्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु नहीं है. आवेदक वर्ष 1997 से निरन्तर अनावेदक संख्या 6 की माता श्रीमती रामप्यारी के विरूद्व भिन्न भिन्न प्रकरणों में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कानूनी कार्यवाही कर रहा है. जब वादपत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ से वर्ष 2012 में निर्णित होने के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त कानूनी तथ्यों को छिपाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो कि सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है. संयुक्त खाता संख्या 41/40 में 2.108 हैक्टर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 से 5 एवं शेष 1.054 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती रामप्यारी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है श्रीमती रामप्यारी की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतका द्वारा अनावेदक संख्या 6 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी है जिसके आधार पर अनावेदक पृथक से खातेदारी घोषिणा हेतु आवेदनपत्र काउण्टरक्लेम के रूप मं प्रस्तुत कर रहा है. आवेदक केवल अनावेदक संख्या 1 से 5 के विरूद्व ही 1/6 हिस्सा का अनुतोष प्राप्त कर सकता है. प्रश्नगत कृषि भूमि 2/3 हिस्सा एतद्द्वारा 2.108 हैक्टर में से ही 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये समस्त कृषि भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. आवेदक अपने 1/6 हिस्सा कृषि भूमि में ही सुधार करने का अधिकारी है तथा अनावेदक संख्या 6 की 1/3 हिस्सा से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है. आवेदक दिनांक 7 जनवरी, 2018 को अनावेदक संख्या 6 से नहीं मिला. इस प्रकार के तथ्य मात्र प्रकरण का आधार बनाने के लिये अंकित किये गये हैं. अनावेदक संख्या 6 की 1/6 हिस्सा से आवेदक का कोई मतलब नहीं है. अन्य कथनों में अंकित किया गया कि आवेदक द्वारा स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि कानूनी कार्यवाही का दुरूपयोग पूर्व के विचारण न्यायालय से लेकर माननीय राज. उच्च न्यायाल, जोधपुर द्वारा पारित निर्णयों को छिपाते हुऐ वादपत्र प्रस्तुत किया गया है वर्तमान वाद भी पूर्णरूपेण विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र धारा 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विशेष हर्जाना सहित निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 37 के 12.10 बीघा कृषि भूमि आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 से 5 द्वारा पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 7 सितम्बर, 1994 द्वारा क्रय की गयी है जिसके अनुसार आवेदक चक 34 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 37 के 12.10 बीघा कृषि भूमि में से ही 1/6 हिस्सा कृषि भूमि का ही अधिकारी है. किन्तु राजस्व अभिलेखानुसार वर्तमान में संयुक्त खाता संख्या 41/40 मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.161 हैक्टर में ही

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

क्याधीन भूमि दर्ज है. ऐसी स्थिति में, यदि संयुक्ता खाता के विभाजन से पूर्व कृषि भूमि किसी भी प्रकार से अन्तरित की जाती है तो आवेदक को निश्चित रूप से अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है.

अतः आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, संयुक्त खाता संख्या 41/40 मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि के विधिवत विभाजन से पूर्व अपने हिस्सा से अधिक एवं किसी किला विशेष को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 17 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.